



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited



सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

CP/RTI/2015/226

Date: 5th January, 2016

Shri Himanshu Sharma
House No. 2650
Sector-16, Faridabad, Haryana

Sub: **Information under Right to Information Act, 2005 (Application No.-200
Application date 01.12.2015 received on 17.12.2015.)**

Dear Mr. **Sharma**,

This has reference to MoP letter dated 7th December, 2015 (received on 17th December, 2015), transferring your RTI request dated 1st December, 2015, under RTI Act, 2005.

The information sought is attached at **Annex-I**.

First Appeal, if any, against the reply of CPIO may be made to the first appellate Authority within 30 days of the receipt of the reply of CPIO. Details of Appellate Authority at Corporate Centre, Gurgaon, under RTI Act, 2005 is as below:

Shri B. Mishra
Executive Director (CP & IT) & Appellate Authority
Corporate Centre, Power Grid Corporation of India Limited
"Saudamini", Plot No. 2, Sector-29 Gurgaon – 122007, Haryana.
Email ID: bmishra@powergridindia.com
Phone No. 0124-2571960

Thanking you,

भवदीय,

सतीश
5.1.16

(सतीश कुमार जे.)

उप महाप्रबंधक (.आ.के) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Phone No. 0124-2822746

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Copy to: Shri Sanjeev Jain
Under Secretary (PG), Ministry of Power
Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg
New Delhi-110001.

आवेदक द्वारा मांगी गयी जानकारी सामान्य प्रकार की है और ये विशेष रूप से पावरग्रिड की पारेषण लाइनों से संबन्धित नहीं है। तथापि, प्रश्नों के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी दी जाती है :

1. भारत में पारेषण लाइनों का निर्माण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधिनियम 2010/2011 - "विद्युत संयंत्रों के निर्माण और बिजली लाइनों के लिए तकनीकी मानक", "सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय", "निर्माण, संचालन और बिजली संयंत्रों और बिजली लाइनों के रखरखाव के लिए सुरक्षा आवश्यकताएँ" तथा भारतीय मानक ब्यूरो के मानक IS: 5613 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

ये अधिनियम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यालय एवं वेब साइट से प्राप्त किए जा सकते हैं।

2. 220 के.वी. लाइन के लिए 35 मीटर का राईट आफ़ वे होना चाहिए। अर्थात् लाइन के सेंटर प्वाइंट से एक तरफ 17.5 मीटर होना चाहिए।

3. अगर नई 220 के.वी. लाइन किसी इमारत अथवा इमारत के किसी हिस्से के ऊपर से अथवा नज़दीक से गुजरती है तो लाइन के तत्काल नीचे बनी इमारत के सबसे ऊंचे हिस्से से तारों की न्यूनतम लम्बवत दूरी 5.4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, सबसे नज़दीकी तार और इमारत के बीच की समानान्तर दूरी 3.7 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ इमारत शब्द का मतलब किसी भी अवसंरचना से है।

4. कृप्या उपरोक्त क्रम संख्या 3 का सन्दर्भ लें।

5. नई 220 के.वी. लाइनों का सड़क से दूरी का कोई नियम नहीं है।

6. हाँ, इन लाइनों को रिहायशी क्षेत्र में लगाया जा सकता है। लेकिन न्यूनतम दूरी क्रम संख्या 3 के अनुसार होनी चाहिए।

7. नई 220 के.वी. लाइनों को लगाने से पहले कई विभागों से मंजूरी व अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है जैसे कि वन विभाग, रेल विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, नागरिक विमानन विभाग, जलमार्ग विभाग, अन्य विद्युत एवं टेलिकाम विभाग इत्यादि।

Handwritten signature